भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 351
दिनांक 04 फरवरी, 2025/ 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

विद्वेषपूर्ण भाषण पर नियंत्रण

†351. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना और विद्वेषपूर्ण भाषण के प्रसार, जो अक्सर भीड़ द्वारा हिंसा को भड़काने से जुड़े होते हैं, की निगरानी और नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या सरकार का भीड़ द्वारा की गई हत्या के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए कोई विशिष्ट सहायता, वित्तीय सहायता का पुनर्वास कार्यक्रम प्रदान करने का प्रस्ताव है/ की योजना बना रही है और यदि हां, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 या 117 के तहत आज तक भीड़ द्वारा की गई हत्या से संबंधित कितने मामले दर्ज किए गए हैं;
(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाई की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भीड़ द्वारा की गई हत्या के संबंध में 17 जुलाई, 2018 को जारी निर्देशों का राज्यों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाए; और
(ङ) उक्त निर्देश के तहत भीड़ द्वारा की हई हत्या और हिंसा की आशंका वाले क्षेत्रों के रुप में पहचाने गए जिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 साइबर अपराध माने जाने वाले विभिन्न अपराधों जैसे पहचान की चोरी, प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी, गोपनीयता का उल्लंघन आदि के खिलाफ सजा का प्रावधान करता है।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 351, दिनांक 04.02.2025

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता कोड) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) ने सोशल मीडिया बिचौलियों सहित बिचौलियों पर स्वयं द्वारा उचित प्रयास करने और अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ताओं को मेजबान, भंडारण, ट्रांसमिट, प्रदर्शन या प्रकाशित, आदि नहीं करने के लिए विशिष्ट उचित परिश्रम दायित्व डाले है जिसमें, अन्य बातों के साथ साथ, गलत जानकारी या स्पष्ट रूप से गलत जानकारी शामिल है जिसे आईटी नियम, 2021 के तहत गैरकानूनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उस समय लागू किसी भी कानून का उल्लंघन माना गया है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उद्योग हितधारकों/सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ कई परामर्श आयोजित किए हैं और सलाह जारी की है, जिसके माध्यम से मध्यस्थों को आईटी नियम, 2021 के तहत उल्लिखित उनके उचित परिश्रम दायित्वों के बारे में याद दिलाया गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में अपराधों पर जानकारी संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 तक उपलब्ध हैं।

रिट याचिका (सिविल) संख्या 754/2016, तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.07.2018 के कार्यान्वयन के लिए, देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उपाय करने के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को दिनांक 23.07.2018 और 25.09.2018 को सलाह जारी की गई है। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को अन्य बातों के साथ-साथ, लिंचिंग/भीड़ हिंसा पीड़ित मुआवजा योजना तैयार करने की सलाह दी गई है जिसमें, शारीरिक चोट की प्रकृति, मनोवैज्ञानिक चोट और रोजगार और शिक्षा के अवसरों की हानि और उस पर होने वाले खर्च सहित आय की हानि को भी ध्यान में रखा जाना है । उक्त मुआवजा योजना में भीड़ हिंसा/लिंचिंग की घटना के तीस दिनों की अवधि के भीतर पीड़ित या मृतक के निकटतम रिश्तेदार को अंतरिम राहत का भुगतान करने का भी प्रावधान होना चाहिए।

*****